

न्यायालय अंचल अधिकारी, कांके (राँची)।

विविध वाद संख्या - 15 / 2021-22

मीना देवी एवं अन्य

..... वादी

बनाम

झारखण्ड राज्य एवं अन्य

..... प्रतिवादी

आदेश

क्र० सं०	कार्यवाही के आदेश की तिथि	न्यायालय के आदेश एवं हस्ताक्षर	कार्यालय आदेश एवं दिनांक
		<p>माननीय उच्च न्यायालय में दायर वाद संख्या WP(C) No 1795 / 2021 मीना देवी एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में 13.7.2021 को पारित न्यायनिर्णय में सुनवाई करते हुए आदेश पारित करने का आदेश दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया जिसके आलोक में उभय पक्षों द्वारा लिखित पक्ष समर्पित किया गया। जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-</p> <p><u>वादीगण मीना देवी एवं अन्य द्वारा रखा गया पक्ष-</u></p> <p>Objection petition filed by the petitioners, on 22.07.2021 with the salient points of the objection petition and other evidences:</p> <ul style="list-style-type: none">• That the petitioner obtained the land in Mouza - Mesra, Thana No.169, P.S.-Sadar (kanke Block), District-Ranchi, being Khata No.108, Plot No.446, total measuring area of 38 decimals and Khata No.108, Plot Nos. 459, 460, 463 total measuring area of 1.31 acres the lands belong to recorded tenants and the petitioners obtained the Plots - 446 (38 decimals) and 459,460,463 (total 1.31 Acres) through Registered Sale Deed dated 02.11.1972 and constructed house and are doing cultivation on the lands for their livelihood.• The petitioners have been regularly paying rent till the current year, 2021.• On posting of Aam Suchna by BIT, the petitioners have come to know that their land has been acquired by BIT Mesra in the year 1964-65 without any proceedings and intimation now given after lapse of more than 55 years and disturbing the peaceful possession of the petitioners on the said lands.• No details of acquisition have been provided by BIT to petitioners, which too have been acquired on the basis of false land acquisition proceedings. BIT has started encroachment on the petitioner's lands with the help of legislative authority for personal use.• Petitioners are cultivating fruits and vegetables on the said lands.• Respondent BIT Mesra has not followed the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, specially in regards to provision to safeguard food security.	

- That the said lands are irrigated multi-crop land and **Section 10 of the 2013 Act** bars acquisition of multi-crop irrigated lands.
- Petitioners have submitted that BIT Mesra has not followed **Section 24 of the 2013 Act**. By **Section 24(2) land acquisition process under Act No.1 of 1894** shall be deemed to have lapsed in certain cases.
- Petitioners have submitted that BIT Mesra has not given any compensation for the acquired land and if the lands are forcibly taken, more than 100 family members will become landless.
- **Under Section 11 of the 2013 Act**, it is stated that where no award has been made 5 years or more prior to the commencement has not been taken or the compensation has not been paid, the said proceedings shall be deemed to have lapsed.
- BIT Mesra is taking benefit of the COVID lockdown to start encroachment on the petitioners lands.
- The petitioners have prayed to the Authority concerned to kindly stop BIT Mesra from encroachment on their lands.

Petitioners re-submitted the petition dated 30.11.2021 stating that the said lands are being cultivated by them and the land is under their possession.

Written Argument was filed on 21.03.2022 on behalf of the Applicants/ Objectors with the following salient points and evidences:

- The applicants have filed an Objection Petition for staying the general notice (Aam Suchna) by respondent BIT Mesra claiming ownership on 779.08 Acre of land in Mauja mesra, Rudia and Hombai over which steps for land demarcation and boundary wall are being taken which is objected to by the petitioners.
- That the petitioners obtained the Plots – 446 (0.38 decimals) and 459,460,463 (total 1.31 Acres) through Registered Sale Deed dated 02.11.1972 and constructed house and are doing cultivation on the lands.
- The petitioners have been regularly paying rent till the current year, 2021. (Photocopy of 2021 rent receipt annexed)
- On posting of Aam Suchna by BIT, the petitioners have come to know that their land has been acquired by BIT Mesra in the year 1964-65 without any proceedings and intimation now given after lapse of more than 55 years and disturbing the peaceful possession of the petitioners on the said lands.
- No details of acquisition have been provided by BIT to petitioners, which too have been acquired on the basis of false land acquisition proceedings. BIT has started encroachment on the petitioner's lands with the help of legislative authority for personal use.
- Petitioners are cultivating fruits and vegetables on the said lands.
- That the petitioners are backward class persons and have been cultivating on these lands since their forefathers. The applicants have no knowledge about the acquisition which has been done by BIT with the connivance of the Authority.

Petitioner filed PARAWISE REPLY TO THE REPLY FILED BY BIT MESRA ON 12.03.2022:

- The Opposite Party, BIT Mesra has stated wrong facts in Para 1 to 3. In the Gazette Notification, bounded area is mentioned but Khata, Plots are not mentioned in respect of Land Acquisition Case.

No.9/1964-65.

- The Opposite Party, BIT Mesra has stated wrong facts in Para 4 to 8. No Land Acquisition Officer Order/Letter have been annexed and no notice has been issued to the raiyats for receiving compensation.
- The Opposite Party, BIT Mesra has stated wrong facts in Para 9, according to his statement that 281.90 Acres of land has been acquired and award amount of Rs.4,12,353.04 was deposited in the treasury on 27.05.1965 and amount has been disbursed to the Raiyats. As against the compensation amount of Rs.4,12,353.04 in award, the opposite party has enclosed cash receipt voucher only amounting to Rs.1,46,902.46. The opposite party has not paid entire compensation amount to the Raiyats against the acquired land of 281.90 Acre.
- The Opposite Party, BIT Mesra has stated wrong facts in Para 12 where he states that possession was taken on 02.02.1966 and correction slip issued in favour of BIT and they are paying rent till today. However, it is seen from Correction Slip for Mutation Case No.873-R-27/88-89 that no khata, plot details are given, only case number and total area of 281.90 Acre s mentioned. The opposite party has not annexed the order of the mutation case. It creates suspicion that the land was not acquired or mutated.
- The opposite party, BIT Mesra has **only attached 2 judgements** out the total judgements cited in their reply dated 12.03.2022.
- The opposite party has wrongly cited their constructed buildings over the land. The said buildings does not belong to the present disputed land which are vacant land or situated houses and building belonging to the applicants and their co-sharers.
- The attached rent receipts by the applicants prove that the opposite party stated wrong facts and has suppressed the entire facts.
- It is stated that the Kanungo Report dated 13.07.2005 submitted by the opposite party do not mention khata and plots.
- According to the Memo No.3619 dated 16.11.1964, the total cost of acquisition amounts to Rs.4,12,353.04. However, the opposite party has only submitted cash receipts of Rs.1,46,902.46 which is not the entire compensation amount. Meaning thereby, only some amount ha been paid to other persons inthe name of raiyats award received from DLAO office and the opposite party annexed forged cash receipt voucher with the reply.
- The government has not followed **Section 7 and 12 of the Land Acquisition Act 1894** in acquiring the and and in what circumstances possession has not been taken since 55 years.
- The Land Acquisition Officer has not followed the following provisions under the Land Acquisition Act 1894, Section 4 and Section 6.
- Judgements replayed upon by the applicants:
 - Purushottam Lal and Others Vs. State of M.P. and Ors, reported in 2015 O Supreme M.P. 744; 2015 Vol-3 JLI 351;
 - Laxman Pandya and Ors Vs. State of UP & Ors reported in 2011 O Supreme (SC) 431 and also cited in 2011, 14 SCC 94;
 - Indore Development Authority Vs. Manoharlal & Ors 2020 8

AP

- According to the petitioner the facts mentioned above in the present written argument, the nature of land, khatiyan, current rent receipt, possession over the land of the applicants, law points under the land acquisition act 1894 and Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, the judgements mentioned above, the objection petition may be allowed on the basis of above documents and law points.

प्रतिवादी बी०आई०टी० मेसरा के द्वारा रखा गया पक्ष—

The Respondent, BIT Mesra, filed their counter claim on the dates 29-10-2021 and 12-03-2022 with the following salient points and evidences:

1. तत्कालीन बिहार सरकार ने बी० आई० टी० मेसरा शिक्षण संस्था स्थापित करने हेतु मीजा मेसरा, होम्बई और रुदिया में अधिग्रहण घोषणा संख्या 9/1964-65 (281.90 एकड़) के द्वारा भूमि अधिग्रहित कर बी०आई०टी० प्रबंधन को प्रदान की गई थी।
2. भूमि अधिग्रहण घोषणा संख्या 9/1964-65 जिसका भूमि अधिग्रहण मुकदमा मध्ये घोषणा आर०ए०एन० 1312/84-61-62 दिनांक 03-06-1964 जो कि प्रकाशित पृष्ठ 1604 अंश II एवं प्रकाशित पृष्ठ 1083 अंश II बिहार गजट में प्रकाशित किया गया। (इसकी प्रतिलिपि प्रतिवादि-9 ने संलग्न की है।)
3. तत्कालीन बिहार सरकार के आदेश प्राप्त होने पर भू-अर्जन पदाधिकारी रांची ने भू-अर्जन वाद सं० 9/1964-65 दर्ज कर भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 7 के अनुसार जमीन का मापी कर नक्सा तैयार की गई थी, (इसकी सत्यापित प्रतिलिपि प्रतिवादि-9 के द्वारा संलग्न की गई है।)
4. भूमि अधिग्रहण घोषणा संख्या 9/1964-65 सरकार द्वारा जारी छानबीन के पश्चात् ही जमीन मालिकों को भूमि अधिग्रहण का मुआवजा राशि भुगतान किया गया। यह कि सरकार के आदेशानुसार प्रतिवादी द्वारा सरकारी कोषागार से अधिग्रहित भूमि जिसका रकबा 281.90 एकड़ के मुआवजा राशि भुगतान हेतु प्रतिवादी द्वारा 4,12,353.04 पैसा (चार लाख बारह हजार तीन सौ तिरपन रूपैया चार पैसा) दिनांक 27-05-1965 को प्रतिवादी द्वारा जमीन का मूल्य के रूप में राशि जमा किया। भुगतान किए गए राशि का कोषागार का घालान भी प्राप्त है (इसकी सत्यापित प्रतिलिपि प्रतिवादि-9 के द्वारा संलग्न की गई है।)
5. प्रतिवादि सं०-9 ने वादि द्वारा दावा किए गए भूमि खण्डों के विरुद्ध रैयत तथा रैयत के उत्तराधिकारीगण द्वारा ली गई मुआवजों की राशि एवं प्राप्ति की तिथि का विवरण भी प्रस्तुत किया है।

खाता संख्या	खेसरा संख्या	प्राप्त राशि (रुपये में)	रैयत/ उत्तराधिकारीगण	प्राप्त राशि की तिथि
108	446,460	1394.00	संतोष महतो व ननकु महतो पेशरान दुईला महतो मी० रीफामनी जीजे-डोमन महतो	23.12.1968

1. भूमि अधिग्रहण घोषणा संख्या 9/1964-65 प्रतिवादी द्वारा जमीन के मूल्य का भुगतान के पश्चात् सरकार द्वारा दिनांक 02-02-1966 को अधिग्रहित भूमि जो घोषणा संख्या वृद्धि 1312/84-61-62 दिनांक

Handwritten signature

03-06-1964 को प्रकाशित भूमि को प्रतिवादी के पक्ष में दखल दिया गया। (प्रतिवादी-9 के द्वारा दखल प्राप्त प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि प्रतिवादि-9 के द्वारा संलग्न की गई है।)

2. भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा कुल अर्जित जमीन बी० आई० टी० मेसरा को कब्जा दिनांक 02-02-1966 को दे दिया गया तथा भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा बी० आई० टी० मेसरा के लिए कुल अर्जित जमीन के संबंधित कागजात अंचल कार्यालय कांके को भेजा गया जिसके आधार पर अंचल पदाधिकारी कांके द्वारा बी० आई० टी० मेसरा के पक्ष में शुद्धि पत्र (Correction Slip) निर्गत कर पंजी II में कुल अर्जित जमीन बी० आई० टी० मेसरा के नाम पर दर्ज किया गया तथा बी० आई० टी० मेसरा से मालगुजारी लेकर मालगुजारी रसीद बी० आई० टी० मेसरा के पक्ष में निर्गत किया गया।
3. भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा कब्जा आवेदन के आधार पर बी० आई० टी० मेसरा को कुल अर्जित जमीन दखल दिया गया जिस पर बी० आई० टी० मेसरा दखलकार होकर विभिन्न प्रकार के शिक्षा हेतु शैक्षणिक भवनों इत्यादि का निर्माण कर दशकों से शैक्षणिक संस्था चला रहा है।
4. अधिग्रहित भूमि दखल प्राप्ति के पश्चात् प्रतिवादी अधिग्रहित भूमि पर दखल बनाए हुए है पर प्रतिवादी का महाविद्यालय भवन, छात्रावास संख्या 05, 06, 07, 10, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, व्यायामशाला, क्रिकेट मैदान, अनुसंधान छात्रावास, महिला शिक्षक निवास, कार्यालय, कर्मचारी निवासी निवास, हेलीपैड, यूनिवर्सिटी, पॉलिटेक्निक, इंडस्ट्रियल इस्टेट, नवोदय विद्यालय (बी आई टी द्वारा लीज पर), किसलय विद्यालय, रुशल डिस्पेंसरी, गार्ड बैरक्स, दुरभाष कार्यालय (भारत सरकार का उपक्रम), बी आई टी थाना आउटपोस्ट, आइस फैक्ट्री, आदि बना हुआ है तथा अधिग्रहित जमीन प्रतिवादी अपने जरूरत एवं सुविधा के अनुसार उपयोग कर रहे हैं।
5. अधिग्रहण के समय भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अनुसार संबंधित रियल्टी को आपत्ति करने का उचित मौका धारा 7 एवं 12 के अन्तर्गत दिया जाता है। अतः जमीन अधिग्रहण 55 वर्ष बाद अधिग्रहण किया जमीन जिसपर शैक्षणिक संस्था चल रहा है उस जमीन पर किसी प्रकार का आपत्ति तथा दावा करने का हक एवं अधिकार किसी भी खतियानी रियल्टी के उत्तराधिकारी को नहीं होता है।
6. बी० आई० टी० मेसरा द्वारा भू-अर्जन पदाधिकारी के माध्यम से सनी रियल्टी को अधिग्रहण किया गया जमीन का उचित मुआवजा का भुगतान किया गया है जिसका पूर्ण कागजात Payment Schedule में भू-अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध है। अतः वादी द्वारा करीब 55 वर्षों के पश्चात् यह कहना है कि मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया है तथा गलत तरीके से अधिग्रहण किया गया है सरासर गलत एवं अविश्वासनीय है तथा इतने वर्षों के बाद किसी कानून में आपत्ति का कोई प्रावधान नहीं है।
7. अधिग्रहण किया गया खाली जमीन बी० आई० टी० मेसरा के दखल कब्जा है जिस जमीन के कुछ अंश पर वादी द्वारा गैरकानूनी तरीके से अधिग्रहण के काफी वर्षों के बाद हाल में मकान बनाकर जमीन पर दावा करना गैरकानूनी है। तथा अधिग्रहण किया गया जमीन पर गैरकानूनी तरीके से बिना बी० आई० टी० मेसरा के अनुमति के निर्माण करने पर कोई हक दावा जमीन पर वादी का नहीं बनता है।
8. अधिग्रहण किया जमीन के खाली जमीन पर वादी या किसी व्यक्ति द्वारा अधिग्रहण के बाद नाज्वायज तरीके से खेती करने पर कोई हक दखल, दावा अधिकार वादी का नहीं बनता है तथा Adverse Possession भी नहीं होता है।
9. अंचल कार्यालय के भूल के कारण अधिग्रहण किया गया जमीन का किसी खाता प्लॉट में अगर पंजी II में किसी का दर्ज हो गया है तथा



बी० आई० टी० मेसरा के अधिग्रहण किया गया जमीन को दोहरा जमाबंदी गलती से वादी या किसी व्यक्ति के नाम दर्ज है तो वह अंचल कार्यालय द्वारा स्वतः सुधार करने योग्य है। उस दोहरा जमाबंदी के आधार पर वादी या किसी व्यक्ति द्वारा अधिग्रहण किया गया जमीन पर हक दावा नहीं किया जा सकता है।

10. बी० आई० टी० मेसरा के लिए जमीन सरकार के आदेश से भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा वर्ष 1964-65 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधान के अन्तर्गत किया गया। अतः वादी द्वारा Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act 2013 जो कि बी० आई० टी० मेसरा के लिए जमीन अधिग्रहण करने के समय था ही नहीं उस Act के आधार पर वादी द्वारा दावा करना बिल्कुल ही गलत एवं नैरकानूनी है।

11. वादी के पास कोई ऐसा कागजी सबूत नहीं है जिससे की वादी यह प्रमाणित कर सके कि बी० आई० टी० मेसरा के लिए जो जमीन अधिग्रहण किया गया वह गलत तरीके से भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के बाहर किया गया है।

12. यह कि वर्ष 2005 में कानूनगो, रीची समाहरणालय, भू-अर्जन शाखा द्वारा अभिलेख संख्या 9/1964-1965 में उपलब्ध अर्जन खतियान, खाता एवं खेसरा से मिलान के उपरांत जाँच प्रतिवेदन की रिपोर्ट निर्गत की गई जिसमें स्पष्ट पाया गया कि अभिलेख संख्या 9/1964-1965 द्वारा 281.90 एकड़ संस्थान के लिए अर्जित की गई। (प्रतिलिपि प्रतिवादि-9 के द्वारा संलग्न की गई है।)

13. बी० आई० टी० मेसरा के अभिलेख वाद संख्या-09/1964-65 के द्वारा अर्जित की गई भूमि पर पूर्व में भी दिवानी मुकदमें हुए हैं और सभी मामलों में न्यायालय द्वारा बी० आई० टी० मेसरा के पक्ष में फैसला दिया गया है जिनकी जजमेंट डीबीज की छायाप्रति प्रतिवादि-9 के द्वारा संलग्न की गई है।)

1. स्वतः वाद सं०-190/2012 - (बी.आई.टी. मेसरा बनाम भूनेश्वर मुण्डा उर्फ भदवा एवं अन्य)
2. स्वतः वाद सं०-30/1989 - (बी.आई.टी. मेसरा बनाम दुल्लु महतो उर्फ दुल्लु महतो)
3. स्वतः वाद सं०-33/1994 - (बी.आई.टी. मेसरा बनाम बीताराम महतो एवं कृष्णा महतो)
4. स्वतः वाद सं०-63/1989 - (बी.आई.टी. मेसरा बनाम शशु महतो एवं अन्य)
5. स्वतः वाद सं०-150/1987 - (बी.आई.टी. मेसरा बनाम किरनधर महतो एवं मोला साठु)
6. एन०ए०आर० वाद सं०-83/1981-82 एवं 304/1983-84 (सोहराई मुण्डा बनाम बी.आई.टी. मेसरा)
7. एन०ए०आर० वाद सं०-291/1986-87 (सुकरा मुण्डा बनाम बी.आई.टी. मेसरा)
8. एन०ए०आर० वाद सं०-89/1981-82 एवं 303/1983-84 (मलदेव मुण्डा बनाम बी.आई.टी. मेसरा)
9. एन०ए०आर० वाद सं०-96/1981-82 (लज्जुवा मुण्डा बनाम बी.आई.टी. मेसरा)
10. L.A. Reference Case No. 48, 49, 51, 52, 56, 58 to 66, 69, 72, 73, 76, 85 to 88 and 93 of 1967

प्रतिवादी बी०आई०टी० मेसरा के द्वारा प्रस्तुत संलग्न दस्तावेजों की सूची :-

1. गजट नोटिफिकेशन
2. एक्वेजिशन मैप
3. पैमेट रिसीप्ट
4. पोजेशन सर्टीफिकेट
5. म्युटेशन स्लिप
6. कानूनगो प्रतिवेदन (2005)
7. लैंड एक्वेजिशन ऑफिस प्लॉट सिडुल सर्टीफाईड कॉपी
7. जजमेंट डीबीज
8. मेलुऐशन खतियान
9. केश रिसीप्ट वाऊचर

AP

10. अंचल कार्यालय प्लॉट सिडुल सर्टीफाईड कॉपी 2005

उपरोक्त तथ्यों को रखते हुए प्रतिवादि सं०-9 (बी० आई० टी० मेसरा) ने दावा किया है कि वादि द्वारा अर्जित भूमि जो दावे किए हैं, वह पुरी तरह से भ्रामक, निराधार एवं तथ्य विहीन है।

The Respondent, BIT Mesra, filed a Written Argument on 24.03.2022 with the following salient points and evidences:

- The Respondent submits that it is a simple case of demarcation of the land in question since BIT Mesra wants to erect boundary wall according to perfect measurement. As per the Respondent, the present land in dispute was acquired in year 1959 and 1965 vide LA Case No.5/1958-59 and LA Case No.9/1964-65 in which Gazette Notification was also made and possession was given to BIT Mesra.
- BIT Mesra is in possession of the entire land. However, due to lapse in time, over some portion of the land either BIT is in excess possession or the petitioners are in excess possession. Therefore, it is required that Amin along with Karmchari be directed to take measurement of the acquired land and put demarcation so that boundary wall can be erected.
- **Judgements replayed upon by the respondent:**
 - Reference-(2005 Vol.I SCC Page-558);
 - 2002 AIR SCW Page-5685;

The Respondent submits that therefore, for the purpose of peaceful and amicable demarcation of the land in question the good office of Circle Officer, Kanke is required to demarcate the land acquired by BIT Mesra in LA Case 5/1958-59 and LA Case 9/1964-65 and objection of the petitioner be dismissed.

प्रश्नगत भूमि का जॉच राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन से कराया गया। उनके द्वारा समर्पित विस्तृत प्रतिवेदन निम्नवत् है:-

• **वादी मीना देवी एवं अन्य से संबंधित भूमि:-**

मीना देवी एवं अन्य द्वारा मौजा -मेसरा, थाना नं० - 169, खाता संख्या-108, प्लॉट संख्या-446, 460, 459, 463, कुल रकबा 1.69 एकड़ भूमि पर दावा किया गया है।

• **खतियान की विवरणी:-**

मौजा - मेसरा, थाना संख्या-169, खाता संख्या-108

प्लॉट नं०	रकबा
446	- 0.38 डि०
460	- 0.83 डि०
459	- 0.13 डि०
463	- 0.35 डि०
कुल परिमाण	- 1.69 एकड़

आर० एस० खतियान में मोसमात राजो कुरमी वगैरह जाति-कुरमी दर्ज है।

• **पंजी II की विवरणी :**

मौजा - मेसरा, थाना संख्या-169, खाता संख्या-108

प्लॉट नं०	रकबा
459	- 0.13 डि०
463	- 0.35 डि०

कुल परिमाण - 0.48 एकड़

पंजी II के भाग में 1 के पृष्ठ संख्या - 108 में मौ० राजी के नाम से दर्ज है। परिवर्तन के लिए प्राधिकार कॉलम में " लगान सामिल खाता नं. 132" दर्ज है।

मौजा - मेसरा, धाना संख्या-169, कुल परिमाण 84.39 एकड़ भूमि पंजी II के भाग में 3 के पृष्ठ संख्या - 71 में बी० आई० टी० मेसरा के नाम से दर्ज है। परिवर्तन के लिए प्राधिकार कॉलम में दाखिल खारिज वाद संख्या 246 आर 27*/1991-92 दिनांक के अनुसार नया खाता खोला गया ** दर्ज है।

इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 850 (II) दिनांक 31.08.2021 से भू.अर्जन कार्यालय से उक्त भूमि से सम्बंधित विवरणी की मांग की गयी थी, जिसके आलोक में भू.अर्जन के दिनांक 16.12.2021 पत्रांक 2009 (ii) से LA Case No.9/1964-65 में बी आई टी मेसरा द्वारा अर्जित की गई मौजा -मेसरा की भूमि की विवरणी प्राप्त है। (प्रति संलग्न)

खाता संख्या	खेसरा संख्या	अर्जित भूमि
108	446, 460	खाता 108 में भू.अर्जन वाद संख्या 9 / 1964 -65 के द्वारा बी आई टी मेसरा को निर्गत की गई। कुल रकबा : 1.21 एकड़

भू-अर्जन वाद 9/1964-65 में सक्षम न्यायालय द्वारा बी आई टी मेसरा के पक्ष में पारित आदेशों की विवरणी प्रतिवादी के द्वारा संलग्न की गई है:-

1. स्थल वाद सं०-33/1964 बी.आई.टी मेसरा बनाम सीताराम महतो एवं कृष्णा महतो
2. स्थल वाद सं०-190/2012 बी.आई.टी मेसरा बनाम भूनेश्वर मुण्डा उर्फ भदवा एवं अन्य
3. स्थल वाद सं०-30/1989 बी.आई.टी मेसरा बनाम दुल्लु महतो उर्फ दुल्लु महतो
4. स्थल वाद सं०-83/1989 बी.आई.टी मेसरा बनाम शरतु महतो एवं अन्य)
5. स्थल वाद सं०-155/1987 बी.आई.टी मेसरा बनाम किशोर महतो एवं भीजा साहू
6. एस०ए०आर० वाद सं०-03/1981-82 एवं 304/1983-84 सोहराई मुण्डा बनाम बी.आई.टी मेसरा
7. एस०ए०आर० वाद सं०-291/1986-87 सुकरा मुण्डा बनाम बी.आई.टी मेसरा
8. एस०ए०आर० वाद सं०-99/1981-82 एवं 303/1983-84 बलदेव मुण्डा बनाम बी.आई.टी मेसरा
9. एस०ए०आर० वाद सं०-85/1981-82 सीजूवा मुण्डा बनाम बी.आई.टी मेसरा
10. L.A. Reference Case No. 48, 49, 51, 52, 56, 58 to 66, 69, 72, 73, 76, 85 to 88 and 93 of 1967

स्थल की विवरणी :

राजस्व अमिन से जांच कराई गई। उनके द्वारा प्रतिवेदन निम्नवत है:
विषयवित्त वाद से संबंधित भूमि का स्थल जॉय सर्वे नक्शा को आधार पर किया गया जिसका वर्तमान स्थिति निम्नवित्त है:-

AP

1. याचिकाकर्ता संख्या 1 से संबंधित भूमि- खाता संख्या -108, प्लॉट संख्या- 446, कुल रकबा 0.38 एकड़ है जो कि भूमि खाली (परती) है।
2. याचिकाकर्ता संख्या 2 से संबंधित भूमि- खाता संख्या -108, प्लॉट संख्या- 459, 460, 463 कुल रकबा 1.31 एकड़ है जो कि भूमि खाली (परती) है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि खाता संख्या -108, प्लॉट संख्या -446, 460 बी० आई० टी० मेसरा हेतु अर्जित भूमि है जो मू-अर्जन वाद संख्या-09/1964-65 में अर्जित की गई है।

खाता संख्या -108, प्लॉट संख्या - 459, 463 न बी० आई० टी० के द्वारा अर्जित किया गया है ना ही बी० आई० टी० प्रबंधन इस प्लॉट पर किसी प्रकार का दावा करती है एवं पंजी II के जॉच के आलोक में यह भी पाया जाता है कि प्लॉट नं० - 459, 463 कुल रकबा 0.48 एकड़ पंजी II के भाग संख्या 1 के पृष्ठ संख्या - 108 में मो० राजो के नाम से दर्ज है।

मू-अर्जन वाद संख्या-09/1964-65 में पूर्व में भी सक्षम न्यायालय द्वारा बी० आई० टी० मेसरा के पक्ष में कई आदेश पारित हैं। अतः उपरोक्त के आलोक में वादीगण का दावा निरस्त करने की अनुशंसा राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा की गयी है।

मू-अर्जन कार्यालय राँची के दिनांक 16.12.2021 पत्रांक 2009 (ii) से LA Case No.9/1964-65 की अर्जित भूमि की विवरणी, राजस्व उप निरीक्षक, राजस्व अमीन एवं उपरोक्त भूमि में सक्षम न्यायालय द्वारा पारित कई आदेशों के आलोक में वादीगण का दावा अस्वीकृत किया जाता है।
लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी
13/01/22

अंचल अधिकारी
13/01/22